फा.सं. 3/3/2018-DIPAM-II VOL.III
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक संख्या 11 एवं 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक 22 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस)/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूस)/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों तथा शत्रु अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण हेतु क्रियाविधि और तंत्र का निर्धारण - परामर्शदायी समूह के गठन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस)/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूस)/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों तथा शत्रु अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण हेतु क्रियाविधि और तंत्र के निर्धारण के संबंध में इस विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

2. मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार,नीति आयोग, विधिवत रूप से अधिसूचित परामर्शदायी समूह, जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) शामिल होंगे, से परामर्श करने के बाद मुद्रीकरण के लिए परिसंपत्तियों की सिफारिश करेगा। अनुमोदन के अनुरूप मुद्रीकरण के लिए परिसंपत्तियों की नीति आयोग को सिफारिश करने के लिए एतदद्वारा एक परामर्शदायी समूह का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) सीईओ नीति आयोग या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो
(ii) प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो
(iii) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो
(iv) आर्थिक कार्य विभाग के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो
(v) लोक उद्यम विभाग के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो

3. मुद्रीकरण के लिए परिसंपत्तियों की सिफारिश करते समय परामर्शदायी समूह विभिन्न घटकों पर विचार कर सकता है जिनमें शामिल हैं : परिसंपत्तियों का संभावित मूल्य, परिसंपत्तियों की सामरिक प्रकृति, आंकड़ों की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, कानून और व्यवस्था के संदर्भ में आवस्थितिक विश्लेषण, क्या परिसंपत्तियों को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है, उनमें जमीनी स्तर पर स्थायी या संभाव्य नकदी प्रवाह है, राजस्व वृद्धि का स्तर आदि।

4. परामर्शदायी समूह के लिए नीति आयोग सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

5. इसे वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(जगदीश कुमार)
उप निदेशक
टेली. नं. 011-24368036

सेवा में

1. सीईओ, नीति आयोग
2. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. सचिव, लोक उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
4. अन्य सभी मंत्रालय/विभाग